कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़

e-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com दूरभाष/फैक्स नं0– ☎ 05964–225234

पत्रॉक 1939/ 8–4 दिनांक, पिथौरागढ़, 18 अक्टूबर, 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– कीडा–जड़ी नीलामी की सूचना को विभागीय **website** में **upload** करने के संबंध में।
संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 1778/8–4 दिनांक 05.10.2023।

महोदय,

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा कीड़ाजड़ी के नीलाम हेतु दिनांक 18.10.2023 की तिथि निर्धारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथि को नीलामी की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी। कीड़ाजड़ी की नीलामी हेतु पुनः दिनांक 26.10.2023 की तिथि निर्धारित की गई है। नीलामी की सूचना/शर्तें संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय website में upload करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

संख्या / 8–4 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नवत् को सूचनार्थ/नीलामी के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
2. पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त।
4. उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट, बेरीनाग।
6. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग।

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डीडीहाट के आदेश दिनांक 26.08.2023 के अनुपालन में 1016 ग्राम कीड़ा–जडी की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 26.10.2023 को वन विश्राम भवन, पिथौरागढ़ में सम्पन्न की जायेगी। उक्त कीड़ा–जड़ी. वन क्षेत्राधिकारी, अस्कोट के कार्यालय में यथावत् रखी गयी है, जिसे क्रेता बोली देने हेतु बोली से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में देख सकते हैं। प्रश्नगत कीड़ा–जड़ी जहॉ, जिस दशा में है, नीलाम की जायेगी। नीलामी की शर्तें निम्नवत् होंगी–

1. बोली में वही क्रेता भाग ले सकेगा, जो किसी वन अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न हो।
2. नीलाम स्थल पर कोई भी क्रेता किसी भी प्रकार का अश्त्र–शस्त्र अपने साथ नहीं लायेगा।
3. इच्छुक क्रेता को रू0 10,000.00 (रूपये दस हजार) मात्र की धनराशि गेटपास के रूप में जमा करने के उपरान्त ही नीलाम में भाग लेने की अनुमति होगी। नीलाम उपरान्त बोलीदाता को गेटपास की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
4. नीलाम समिति द्वारा उच्चतम बोलीदाता के नाम बोली स्वीकार की जायेगी।
5. नीलामी में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए तब तक बोली नहीं बोल सकता, जब तक कि अनुपस्थित व्यक्ति को लिखित अनुज्ञा–पत्र उसके पास न हो।
6. प्रत्येक बोलीदाता को बोली में शामिल होने से पूर्व मा0 न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डीडीहाट के नाम रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार) की जमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी।
7. बोलीदाता को रू0 100.00 (रूपया एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर निम्न शपथ प्रस्तुत करनी होगी–

   - ***मै .... (नाम व पूर्ण पता) शपथ पूर्वक सहमति देता हूँ कि मेरे द्वारा लगायी गई बोली को मैं 15 दिन तक वापस नहीं लूंगा, तथा किसी भी प्रकार से शर्त का उल्लंघन करने पर मेरे द्वारा नेक जमानत के रूप में जमा जमानत की राशि को जब्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।***

8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी बोली का 25% धनराशि जमानत के रूप में तत्काल जमा करनी होगी। बोली के दौरान जमानत की राशि समिति द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है।
9. उच्चतम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से स्वीकृति उपरान्त ही बोलीदाता के पक्ष में बिक्री की गई सामग्री सौंपी जायेगी।
10. जिस उच्चतम बोलीदाता के हक में नीलाम अन्तिम रूप से स्वीकार होगा, उस क्रेता को जब्ती माल कीड़ाजड़ी का विक्रय मूल्य, बिक्री कर, सरचार्ज, स्टाम्पशुल्क, आयकर व अन्य देयक नियमानुसार जमा करने होंगे तथा माल 10 दिनों के भीतर अपनी सुपुर्दगी में लेना होगा।
11. उच्चतम बोलीदाता द्वारा एक सप्ताह के भीतर समस्त धनरशि (समस्त करों सहित) जमा न किये जाने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय एवं निम्न बोलीदाता से निगोशियेशन कर नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। किसी भी बोलीदाता द्वारा अपनी बोली पर कायम न रहने की स्थिति पर उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।